रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 1998/आश्विन 24, 1920
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1998/ASVINA 24, 1920

परमाणु ऊर्जा विभाग

संकल्प

मुंबई, 6 अक्तूबर, 1998

विषय : पुलिन बालू खनिजों के दोहन की नीति

सं.8/1(1)/97-पी एस यू/1422 :—1. भारत के तटीय क्षेत्रों में और उनके आस-पास पुलिन बालू खनिजों के बहुत बड़े भंडार हैं। भारतीय निक्षेपों का सबसे बड़ा घटक इल्मेनाइट है और दूसरे घटक हैं-रूटाइल, ल्यूकोक्सीन, जर्कन, सिलिमेनाइट, गार्नेट और मोनाजाइट। गार्नेट और सिलिमेनाइट को छोड़कर अन्य खनिजों को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन "विहित पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन नियमों/अधिसूचना/आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है कि किसी भी ऐसी खदान और खनिजों जिनसे विहित पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, या उन विहित पदार्थों का अधिग्रहण, उत्पादन, भंडारण, उपयोग निपटान, निर्यात अथवा आयात किया जा सकता है, पर काम करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस लिया जाए।

2. सन् 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन, ऐसे खनिजों जिन्हें "विहित पदार्थों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का खनन और उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। तथापि, नीति संबंधी यह संकल्प निजी क्षेत्र के कुछ चुनिंदा उद्योगों के प्रवेश की भी अनुमति देता है। इस समय इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई एल), जो कि भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) का एक उपक्रम है तथा केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) जो कि केरल सरकार का एक उपक्रम है, इन खनिजों का उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर पुलिन बालू के निक्षेपों में से खनन, उत्पादन तथा संसाधन करने में जुटे हुए हैं। घरेलू बाजार के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन खनिजों और/अथवा इनके मूल्य वर्धित उत्पादों की बढ़ती हुई मांग और देश में इसकी उपलब्धता की संभाव्यता को देखते हुए इन निक्षेपों के दोहन के लिए नई जगहों पर नए संयंत्र स्थापित करना देश के हित में होगा। परन्तु इन खनिजों के विभिन्न मूल्य-वर्धित उत्पादों के उत्पादन में काफी अधिक पूंजी की जरूरत होगी और इस क्षेत्र में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के स्वामित्व वाले) के लिए ही अकेले अपने बल पर ऐसे नए संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं होगा। अतः यह जरूरी है कि मोटे तौर पर दिए गए कुछ दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे संयंत्र स्थापित करने की अनुमति निजी क्षेत्र को भी दे दी जाए।

3. ऊपर बताई गई पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने हाल ही में, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विवेकपूर्ण सहभागिता (विदेशी पूंजी-निवेश सहित) के जरिए इन खनिज निक्षेपों का आगे और दोहन किए जाने को बढ़ावा देने की नीति को अनुमोदित किया है। इस नीति के अन्य उद्देश्य हैं, कच्चे खनिज का देश के अन्दर ही अधिकतम मूल्यवर्धन करना, मौजूदा संसाधन प्रौद्योगिकियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्तरों तक अपग्रेड करना, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधि और नई प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र (घरेलू और विदेशी) की सहभागिता के जरिए आकृष्ट करना, क्षेत्रीय संतुलन

पर नजर रखते हुए नई उत्पादन सुविधाओं को समुचित आबंटन और इन सुविधाओं द्वारा इन भंडारों के दोहन की दर को इस तरह नियमित करना कि दोहन योग्य भंडार, संयंत्र के आकार आदि के संबंध में निवेशकों के तकनीकी-आर्थिक उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लगभग एक सौ वर्षों तक चलें।

4. (क) इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र की गतिविधियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है :—

(i) खनन और खनिज-पृथक्करण

(ii) ऊपर (i) के उत्पदों में स्वभावत: मूल्य वर्धन

(iii) एकीकृत गतिविधियां (i) तथा (ii) दोनों को मिलाकर

(ख) पूर्णत: भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की सहभागिता की अनुमति ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों के कार्यों के लिए दी जाएगी, चाहे वे केन्द्रीय अथवा संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) अथवा किसी मौजूदा अथवा नई केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम से जुड़े हों या नहीं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जोकि इस क्षेत्र में इस समय कार्यरत घरेलू संगठनों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही प्रौद्यागिकी से अधिक प्रगत/आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ ही, को विशुद्ध मूल्यवर्धन परियोजनाओं (पैरा 4 (क) (ii), की श्रेणी, अर्थात् खनन एवं खनिज पृथक्करण के बिना) और एकीकृत परियोजनाओं (पैरा 4 (क)(iii) की श्रेणी, अर्थात् खनन एवं खनिज पृथक्करण तथा मूल्य वर्धन दोनों से युक्त में अनुमति दी जायेगी।

(i) विशुद्ध मूल्यवर्धन और एकीकृत परियोजनाओं दोनों में 74 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी की भागीदारी की अनुमति सामान्यत: दी जाएगी, बशर्ते चालू अंतर्राष्ट्रीय मानकों/पुलिन बालू खनिजों के खनन और खनिज पृथक्करण उत्पादों के मूल्यवर्धन का स्तर अधिकतम हो। इस हेतु, एक नई परियोजना में संगत मूल्यवर्धन स्तरों की प्रस्तावित मूल्यवर्धन स्तरों से तुलना प्राथमिक रूप से एक समेकित परियोजना के मामले में खनन एवं खनिज पृथक्करण के बहुल उत्पादों तथा एक शुद्ध मूल्यवर्धन परियोजना के मामले में उत्पाद के मूल्यवर्धन के संबंध में होगी, यदि बहु मूल्यवर्धन उत्पादों का निर्धारण किया गया है।

(ii) किसी भी माध्य स्तर तक मूल्यवर्धन वाली शुद्ध मूल्यवर्धन परियोजनाओं तथा समेकित परियोजनाओं (अर्थात वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मानकों के अनुसार अधिकतम मूल्यवर्धन स्तर से कम परंतु खनन एवं खनिज पृथक्करण से अधिक) के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी (कंपनियों) के लिखत के माध्यम से 74 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी भागीदारी की अनुमति इस प्रकार दी जाएगी कि कम से कम किसी एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी के 26% से कम न हो।

(iii) अपवादात्मक मामलों में जहां 74% से अधिक की इक्विटी भागीदारी अपरिहार्य हो, संबंधित अनुमोदन परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त क्लियरेंस के अधीन होगा।

(घ) अन्य परिस्थितियां समान होने पर ऐसी परियोजनाओं (विशुद्ध मूल्यवर्धन अथवा एकीकृत) को प्राथमिकता दी जाएगी जो न केवल प्रभावी उत्पादों के बल्कि एक अथवा एकाधिक अन्य उत्पादों के मामले में भी मूल्यवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का आश्वासन देते हों। इसी प्रकार से उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जोकि उन मूल्यवर्धित उत्पादों, जिनकी घरेलू बाजार में अधिक मांग न हो अथवा किसी प्रासंगिक काल में जिनका उत्पादन घरेलू मांग से अधिक हो, के निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन को अधिकतम करती हों।

(ङ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमों के मामले में महत्वपूर्ण संचालन पहलुओं जैसे कि निदेशक मंडल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या, उत्पादों की विपणन व्यवस्था जिससे कि किसी भी निजी भागीदार को अनापेक्षित लाभ होने की संभावना कम किया जा सके, आदि, को संयुक्त उद्यम करार तैयार करते समय सरकार (केन्द्रीय/राज्य) के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की पूर्व सहमति से स्पष्ट किया जायेगा। ऊपर पैराग्राफ 4(क) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी की गतिविधियों के मामले में केन्द्रीय/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में अन्तिम रूप से अनुमोदन के बारे में उस प्रासंगिक काल में लागू नीति के अनुसार उपयुक्त सरकार (केन्द्रीय/राज्य) का अनुमोदन लेने की आवश्यकता बनी रहेगी।

(च) यदि पुलिन बालू खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में मोनाजाइट का उत्पादन होता है तो, ऐसे मोनाजाइट का निपटान संबंधित संगठन द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अथवा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति/निकाय के अनुदेशों/निदेशों के अनुसार उसकी लागत पर किया जाएगा।

(छ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधान और इसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश पुलिन बालू खनिजों के दोहन पर जिसमें उनका आयात/निर्यात भी शामिल है, उस सीमा तक लागू रहेंगे जिस सीमा तक इन खनिजों को "विहित पदार्थ" के रूप में अधिसूचित किया गया है और उक्त प्रावधानों के तहत इनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। खदान और खनिज (नियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के तहत खनन कार्य हेतु संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा पट्टे लिए जाते रहेंगे।

(ज) पुलिन बालु खनिजों के दोहन संबंधी गतिविधियों में विदेशियों द्वारा सीधे निवेश किए जाने के सभी मामले, चाहे ऐसे खनिज परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, के प्रावधानों के अधीन स्वभावत: "विहित पदार्थ" अधिसूचित किए गए हों अथवा नहीं, पर अनुमोदन के लिए कार्रवाई किया जाना केन्द्रीय सरकार (उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आदि और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य सभी दिशा-निर्देशों, मानदंडों, विनिर्देशनों, आदि के अनुसार इस सीमा तक जारी रहेगा जिस तक ये अन्य दिशा-निर्देश, आदि इस नीति में ब्यौरेवार दिए, दिशा-निर्देशों के साथ परस्पर विरोधी नहीं हैं।

(झ) यद्यपि, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्यत: निर्धारित प्रक्रियाएं और अनुमोदन संबंधी आवश्यकताएं पुलिन बालु खनिजों के दोहन से संबंधित औद्योगिक परियोजनाओं पर भी लागू होंगी, तथापि, (ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संगत प्रस्तावों पर काम करने वाली/को पायलट करने वाली संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार के नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा) परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ परामर्श करना एवं उसकी पूर्व सहमति लेना वहां आवश्यक होगा जहां ऐसी परियोजनाओं में वे खनिज शामिल हों जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन या तो "विहित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित किया हुआ हो या उनका उत्पादन अन्य विहित पदार्थों के साथ किया जाता हो।

(ञ) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में मोटे तौर पर दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत निजी/संयुक्त क्षेत्र में पुलिन बालु खनिजों के दोहन के लिए परियोजनाएं/संयंत्र स्थापित करने के वास्ते कम्पनियों/उद्यमियों का चयन करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा। तथापि, जहां पर केन्द्र का कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम (वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड) संयुक्त उद्यम में प्रतावित भागीदारी में एक हो तो ऐसे मामलों को पूर्व परामर्श और सहमति के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को भी भेजा जाएगा।

5. इस विषय से संबंधित संगत कानून/नियमों के बेहतर मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रावधान देखे जाएं :

(1) सामान्य रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विशिष्ट संदर्भ में धाराएं 1, 2 और 14 के साथ।

(2) परमाणु ऊर्जा (खदान, खनिजों के कार्यकरण और विहित पदार्थों का हस्तन) नियम, 1984।

(3) विहित पदार्थों की सूची देने वाला भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग की दिनांक 15 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 212(ड़)।

(4) परमाणु ऊर्जा (खदान, खनिज के कार्यकरण और विहित पदार्थों के हस्तन) नियम, 1984 के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग का दिनांक 15 मार्च, 1995 का आदेश सं. का.आ. 213(ड़)।

अ. दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai, the 6th October, 1998

RESOLUTION

Subject : Policy on Exploitation of Beach Sand Minerals

No. 8/1(1)/97-PSU/1422.—1. India has large reserves of beach sand minerals in the coastal stretches around the country. Ilmenite is the largest constituent of the Indian deposits, other being rutile, leucoxene, zircon, sillimanite, garnet and monazite. The minerals other than garnet and sillimanite have been classified as "prescribed substance" under the Atomic Energy Act, 1962. In accordance with the provisions of the said Act and the Rules/Notification/Orders thereunder, it is mandatory to obtain licence from the designated competent authority in the Department of Atomic Energy for working of any mines and minerals from which prescribed substances can be obtained as well as for acquisition, production, possession, use, disposal, export or import of prescribed substances.

2. Under the Industrial Policy Resolution of 1991, the mining and production of minerals classified as "prescribed substances" is reserved for the public sector. However, the Policy Resolution also allows selective entry of the private sector. At present, the Indian Rare Earths Limited (IREL), a Government of India (Department of Atomatic Energy) undertaking and Kerala Minerals & Metals Ltd. (KMML), a Government of Kerala undertaking are engaged in mining, production and processing of these minerals from the beach sand deposits at a few locations in Orissa, Tamil Nadu and Kerala. Considering the growing demand for these minerals and/or their value-added products in the domestic as well as international markets and the potential available in the country, setting up of new plants for exploitation of the deposits in fresh locations would be in the interest of the country. Production of various value-added products of these minerals is, however, highly capital intensive and it may not be possible for only the PSUs (both Central and State owned) operating in this field to set up the new plants on their own. It is, therefor, necessary to allow the private sector to set up such plants within the framework of some broad guidelines.

3. In view of the background explained above, Government of India has recently approved a policy to encourage further exploitation of these mineral deposits through a judicious mix of public and private sector participation (including foreign investment). The other objectives of the policy are maximisation of value addition to the raw minerals within the country, upgradation of the existing process technologies to international standards, attracting funds and new technology necessary for this purpose through participation of the private sector (domestic and foreign), appropriate dispersal of the new production facilities with an eye on regional balance and regulating the rate of exploitation of the reserves by the facilities such that the exploitable reserves last for about hundred years without, of course, adversely affecting the investors' techno-economic considerations regarding plant size, etc.

4 (a) With these objectives in view, the activities in this field have been placed in three categories :

(i) Mining and minerals separation.

(ii) Value addition per se to the products of (i).

(iii) Integrated activities (comprising both (i) and (ii).

(b) Participation of wholly Indian owned companies will be permitted in all the above mentioned categories of activities, with or without joint venture with the Central or State Government(s) concerned or any existing or new Central/State PSUs.

(c) Foreign direct investment, particularly with more advanced/latest technology vis-a-vis what is being used by the domestic entities currently operating in the field, will be permissible in pure value addition projects [category in para. 4(a) (ii), i.e., without mining and mineral separation] as well as integrated projects [category in para. 4(a) (iii), i.e., comprising both mining & mineral separation and value addition].

(c) (i) Upto seventy four per cent (74%) foreign equity participation will be permissible in both pure value addition and integrated projects, provided the level of value addition is the maximum according to the prevailing international standards/levels of value addition to the products of mining and mineral separation of beach sand minerals. For this purpose, the comparison of the proposed level(s) of value addition in a new project with three corresponding level(s) of value addition would primarily be in respect of the predominant product of mining and mineral separation in the case of an integrated project and in respect of the predominant product of value addition in the case of a pure value addition project, if multiple value addition products are envisaged.

(c) (ii) For pure value addition projects as well as integrated projects with value addition upto any intermediate stage (i.e., lower than the maximum level of value additional as per the prevalent international industrial standards but higher than mining and mineral separation), foreign equity participation would be permitted upto seventy four per cent (74%) through the instrument of joint venture company(ies) with Central/State PSUs such that the independent equity holding of at least one PSU (where more than one PSU are participants) is not less than twenty six per cent (26%) of the total equity.

(c) (iii) In exceptional cases where foreign equity participation above seventy four per cent (74%) is unavoidable, approval will be subject to the clearance of the Atomic Energy Commission.

(d) Other things being equal, preference will be given to such (pure value addition or integrated) projects which assure international standards of value addition in respect of not only the predominant but also one or more of the other products. Similarly, projects which maximise foreign exchange earnings through export of value added products which do not have significant demand in the domestic market or are in excess of the domestic demand at the relevant time will be preferred.

(e) In the case of joint ventures with Central/State, PSUs, important operational aspects like the minimum number of PSU representatives on the Board of Directors, marketing arrangements for products so as to minimise the possibility of undue advantage to any of the private partners, etc., will be clarified, at the stage of drawing up joint ventures agreements, with the prior concurrence of the administrative Ministry/ Department concerned of the appropriate Government (Central/State). Final approval of joint venture projects with Central/State PSUs in any category of activities mentioned in paragraph 4(a) above will

continue to require approval of the appropriate Government (Central/State) in accordance with the Government policy in force at the relevant time.

(f) If monazite is produced in the process of exploitation of beach sand minerals, such monazite shall be disposed of by the entity concerned, at its cost, in accordance with the instructions/directives of the Atomic Energy Regulatory Board or any person/body authorised by the competent authority in accordance with the provisions of the Atomic Energy Act and the Rules and Orders thereunder.

(g) The provisions of the Atomic Energy Act and the Rules and Orders thereunder will continue to apply to the exploitation of beach sands minerals, including their import/export, to the extent such minerals are notified as prescribed substances and require licensing under the said provisions. The mining leases under the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act will continue to be granted by the State Government(s) concerned.

(h) All cases of foreign direct investment in activities relating to exploitation of beach sand minerals, whether or not such minerals per se are notified as prescribed substances under the provisions of the Atomic Energy Act, will continue to be processed for approval and regulated in accordance with all other guidelines, norms, stipulations, etc., of the Central Government (Ministry of Industry, Ministry of Finance, etc.) and the Reserve Bank of India, to the extent that these other guidelines, etc., are not inconsistent with the guidelines detailed in this policy.

(i) While the procedures for and approval requirements of industrial projects, as generally laid down by the Central Government from time to time, will be also applicable to industrial projects for exploitation of beach sand minerals, prior consultation with and securing concurrence of the Department of Atomic Energy (by the nodal Ministry/Department of the Central/State Government concerned dealing with/ piloting the relevant proposals for such industrial projects) will be necessary wherever such projects involve minerals which are either notified as prescribed substances or are produced alongwith other prescribed substances under the Atomic Energy Act, 1962.

(j) Subject to the broad guidelines set forth in the foregoing paragraphs, the selection of companies/ entrepreneurs for setting up projects/plants for exploitation of beach sand minerals in the private/joint sector would be left to the State Government concerned. However, where a central PSU (at present only the Indian Rare Earths Limited in this field) is one of the proposed partners in the joint venture, the matter would also be referred to the Department of Atomic Energy for prior consultation and concurrence.

5. For better appreciation of the relevant statutes/rules on the subject, the following provisions may be referred to :

(1) Atomic Energy Act, 1962 in general with more specific reference to sections 1, 2 & 14.

(2) Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substance) Rules, 1984.

(3) Government of India, Department of Atomic Energy Notification No. S.O. 212 (E) dated March 15, 1995 giving a list of prescribed substances.

(4) Government of India, Department of Atomic Energy Order No. S.O. 213 (E) dated March 15, 1995 relating to appointment of Licensing Authority under the Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984.

A. DASGUPTA Jt. Secy.

2239-GI/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998